इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 628] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 17, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

एफ क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (28).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि राज्य सरकार द्वारा या उसके किसी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित, औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों में भूमि और शेड़ों के पट्टों में संशोधन की लिखित पर प्रभार्य शुल्क कम करते हुए केवल लिखित में उपवर्णित अंतरण शुल्क की रकम पर ही, उसे पट्टे के लिये प्रीमियम की रकम मानते हुए, प्रभार्य होगा:

परंतु प्रत्येक मामले में, पक्षकारों द्वारा, उस संबंधित जिले के, जिसमें कि भूमि स्थित है, स्टाम्प कलक्टर का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उस लिखत पर, जिसके कि आधार पर सरकार या सरकार के संबंधित उपक्रम द्वारा पट्टे में संशोधन की अनुज्ञा दी गई थी, समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. बी-4-31-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (28) दिनांक 8 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2010

F. No. B-4-31-2010-2-5 (28).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, directs that the duty chargeable on the instrument of amendment of lease of land and sheds in the Industrial Areas and the Industrial Growth Centres, executed by or on behalf of the State Government or any undertaking of the State Government shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of transfer fees setforth in the instrument treating it as the amount of premium for the lease :

Provided that in each case certificate shall be produced by the parties from the Collector of Stamps of the concerned District, where the land is situated, to the effect that the proper duty has been paid on the instruments on the basis of which the amendment in the lease was permitted by the Government or the concerned undertaking of the Government.

2. The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 and its Work-plan remains in operation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

एफ क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (29).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के, जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की गई हों, या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा अधिगृहित की गई हों या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में आती हों, विक्रय/पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि—

(एक) छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी. उन इकाईयों/आस्तियों के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के अधीन एक बार छूट प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुबारा छूट प्रदान नहीं की जाएगी;

(दो) छूट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की जाएगी जिनको कि स्टाम्प शुल्क से छूट देने का निर्णय, मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्ययोजना के उपबंधों के अधीन गठित, यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा या जिले के कलक्टर की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति द्वारा किया गया हो;

(तीन) छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के क्रेता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इकाई के पुनरूद्धार की योजना प्रस्तुत करना होगी. क्रेता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह वचनपत्र भी देना होगा कि वह उद्योग का अठारह मास में पुनरूद्धार करेगा और इसके उल्लंघन की दशा में छूट दी गई स्टाम्प शुल्क की रकम का लिखत के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत, की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान करेगा. पुनरूद्धार के लिये वह विविधीकरण के विकल्प का उपयोग करने का पात्र होगा.

(चार) छूट, सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र के अध्यधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत को, इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता है.

उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :—

	इकाई का मूल्य/बाजार मूल्य	**सक्षम प्राधिकारी**
(एक)	जहां 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो	संबंधित जिले का कलक्टर
(दो)	जहां 1 करोड़ रुपये से अधिक हो	संबंधित संभाग का संभागीय आयुक्त

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. बी-4-31-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (29) दिनांक 8 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2010

F. No. B-4-31-2010-2-5 (29).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the instrument of sale/lease of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.) or a liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India, subject to the conditions, that—

(i) the remission shall be granted only once. On conveyance of unit/assets on which exemption under this notification has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;

(ii) the remission shall be granted only to such closed and sick units in which the High Power Committee headed by the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the Collector of the District, as the case may be, constituted under the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 and Work-plan, has decided to exempt stamp duty;

(iii) to obtain remission the purchaser of unit will have to produce a scheme for revival of the unit before the competent authority explaining his financial position. Also the purchaser shall give an undertaking before the competent authority that he will revive the industry within eighteen months and in case of violation pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at a simple rate of 0.75 percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival he will be entitled to use the option of diversification of the product;

(iv) the remission shall be subject to the certificate of competent authority to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The competent authority authorised to issue the said certificate shall be as under :—

	Value/Market value of the unit	**Competent Authority**
(i)	Where it does not exceed 1 crore rupees	Collector of the concerned District
(ii)	Where it exceed 1 crore rupees	Divisional Commissioner of the concerned Division.

2. The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 and its Work-plan remains in operation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

एफ क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (30).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय या विलयन या समामेलन की लिखतों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को कम करते हुए अधिकतम दस लाख रुपये उस स्थिति में किया जाए, जबकि प्रभार्य शुल्क की रकम इस रकम से अधिक हो. शुल्क में यह कमी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी—

(एक) उक्त लिखत उद्योग की बेहतर क्षमता उपयोग हेतु निष्पादित की गई हो;

(दो) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो;

(तीन) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा इस उद्योग को दिए गए ऋण को विस्तारित कर ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिये नान-परफार्मिंग आस्ति माना गया हो;

(चार) उद्योग का शुद्ध मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष पहले उसके शुद्ध मूल्य से आधे से कम रह गया हो; और

(पांच) उस दशा में, जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने की पात्र है.

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. बी-4-31-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (30) दिनांक 8 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2010

F. No. B-4-31-2010-2-5 (30).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby directs that the stamp duty chargeable under Article 22 of the Schedule 1-A of the said Act on instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern be reduced to a maximum of rupees ten lakhs when the amount chargeable exceeds that amount. This reduction in duty shall be applicable subject to the conditions that—

(i) the said instrument is executed for better capacity utilization of the industry;

(ii) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 per cent of the installed capacity;

(iii) any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loans as non-performing asset for immediately preceding two years;

(iv) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and

(v) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the Collector of the concerned District in cases where the sale price of the industry does not exceeding one crore rupees and by the Commissioner of the concerned division in other cases.

2. The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 and its Work-plan remains in operation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

एफ क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (31).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय या विलयन या समामेलन की लिखतों पर रजिस्ट्रीकरण फीस को कम करते हुए अधिकतम दस लाख रुपये उस स्थिति में किया जाए, जबकि प्रभार्य रकम इस रकम से अधिक हो. फीस में कमी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी—

(एक) उक्त लिखत उद्योग की बेहतर क्षमता उपयोग हेतु निष्पादित की गई हो;

(दो) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो;

(तीन) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा इस उद्योग को दिए गए ऋण को विस्तारित कर ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिये नान-परफार्मिंग आस्ति माना गया हो;

(चार) उद्योग का शुद्ध मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष पहले उसके शुद्ध मूल्य से आधे से कम रह गया हो; और

(पांच) उस दशा में, जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने की पात्रता है.

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. बी-4-31-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-31-2010-2-पांच (31) दिनांक 8 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2010

F. No. B-4-31-2010-2-5 (31).—In exercise of the powers conferred by section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby directs that the registration fees on instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern be reduced to a maximum of rupees ten lakhs when the amount chargeable exceeds that amount. The reduction in fees shall be applicable subject to the conditions that—

(i) the said instrument is executed for better capacity utilization of the industry;

(ii) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 per cent of the installed capacity;

(iii) any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loans as non-performing asset for immediately preceding two years;

(iv) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and

(v) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the Collector of the concerned District in cases where the sale price of the industry does not exceeding one crore rupees and by the Commissioner of the concerned division in other cases.

2. The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 and its Work-plan remains in operation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.